प्रेषक,

56

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त,

1. जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी, उत्तर प्रदेश।
2. संयुक्त/उप/सहायक संचालक चकबंदी, उत्तर प्रदेश।
3. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 1428/जी.-415/2002 दिनांक : 10 मार्च, 2005

विषय : धारा-52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन के पूर्व ग्राम के समस्त अभिलेखों को माल अभिलेखागार में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राय: यह देखने में आया है कि धारा-52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त भी ग्रामों के बस्ते सम्बन्धित चकबंदी लेखपालों द्वारा समय से माल अभिलेखागार में न जमा करके उसको अपने पास ही रखे रहते हैं एवं अनेक प्रकार से उसका दुरूपयोग यथा नकलें जारी करना, फर्जी इन्दराज आदि करते रहते हैं, जिससे ग्रामों में अनेक प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। जोत चकबंदी मैनुअल के प्रस्तर-602 उप प्रस्तर-19 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि धारा-52 के अन्तर्गत संस्तुति भेजने के पूर्व ग्राम के बस्ते राजस्व अभिलेखागार में जमा करा दिये जायें।

ऐसी स्थिति में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सम्बन्धित सहायक चकबंदी अधिकारी/चकबंदी अधिकारी के माध्यम से संबंधित चकबंदी लेखपाल से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि उस ग्राम के जोत चकबंदी आकार पत्र-2क, जोत चकबंदी आकार पत्र-11, जोत चकबंदी आकार पत्र-23 भाग-(1) व (3), मिसिलबन्द रजिस्टर व आधार वर्ष खतौनी व खसरा व पूर्व बंदोबस्त नियमानुसार माल अभिलेखागारों में जमा करा दिये गये हैं।

धारा-52 के उपरान्त ग्रामों के समस्त अभिलेखों को जमा कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का होगा। यदि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी पाते हैं कि किसी लेखपाल द्वारा बस्ता जमा करने में हीला-हवाली एवं शिथिलता बरती जा रही है तो वे उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से जिले में तीन अधिकारियों की एक टीम गठित करेंगे, जो धारा-52 के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रामों के बस्ते चकबंदी लेखपालों द्वारा जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण करेंगे तथा आख्या मुख्यालय को भेजेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
पी.के. झा
चकबन्दी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं अपर आयुक्त के वैयक्तिक सहायक।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण/गार्ड फाइल।

पी.के. झा
चकबन्दी आयुक्त
उत्तर प्रदेश